दिनांक 15.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित गया एवं औरंगाबाद जिले के कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

1. **माप–तौल** :– सहायक नियन्त्रक, माप–तौल, गया द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 85 पेट्रोल पंप हैं। जिले में मात्र एक निरीक्षक, एक लिपिक एवं दो चतुर्थवर्गीय कर्मी कार्यरत हैं। औरंगाबाद जिले में कोई निरीक्षक कार्यरत नहीं है।

   प्रधान सचिव द्वारा सहायक नियन्त्रक, माप–तौल, गया से यह पूछे जाने पर कि जिले में माप–तौल के 04 कार्यालयों में कर्मियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कार्यरत हैं तो इस संबंध में कोई स्पष्ट जबाद नहीं दिया जा सका।

   संयुक्त निदेशक–सह–नियन्त्रक, माप–तौल, बिहार, पटना को पेट्रोल पंप के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों को प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता निर्धारित करने हेतु नीति बनाने के लिए निदेशित किया गया।

   दोनों जिलों को निदेश दिया गया कि जिले के माप–तौल कार्यालयों में कर्मियों के कुल स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की विवरणी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

   निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम** :– गया जिले में जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम में उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

   औरंगाबाद जिले में इस योजना में वर्ष 2014–15 में HDPE वर्मी बेड में भौतिक लक्ष्य 270 के विरूद्ध उपलब्धि 118 एवं वित्तीय लक्ष्य 8.10 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 3.54 लाख रूपये है, जो 43.70 प्रतिशत है एवं सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण में भौतिक लक्ष्य 1775 हे० के विरूद्ध उपलब्धि 344 हे० एवं वित्तीय लक्ष्य 8.87 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 1.71 लाख रूपये है, जो 19.37 प्रतिशत है।

   इस पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

3. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में दोनों जिलों की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

   जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

4. **बीजोपचार** :– इस योजना में गया जिले की वित्तीय उपलब्धि 99 प्रतिशत एवं औरंगाबाद जिले की उपलब्धि 96.67 प्रतिशत है, इस पर प्रधान सचिव द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

   निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में बीज का कंपनीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित हों।

5. **वर्मी कम्पोस्ट** :– जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान का भुगतान 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से कर दें।

वर्मी कम्पोस्ट वितरण की जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

6. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– इस योजना में वर्ष 2014–15 में गया जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 8.24 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 7.25 करोड़ है। जिले में कम्बाईन हार्वेस्टर में वित्तीय उपलब्धि 80 प्रतिशत, लैंड लेजर लेभलर में 25 प्रतिशत पेडी ड्रम सीडर में उपलब्धि शून्य, रीपर बाइंडर में 2.50, सीड/फर्टिलाईजर डीबलर में 1.28 प्रतिशत एवं सीड ट्रीटमेंट ड्रम में उपलब्धि 4.05 प्रतिशत है।

इस योजना में वर्ष 2014–15 में औरंगाबाद जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 4.34 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 3.01 करोड़ रूपये है। जीरोटिल/सीड–कम फर्टिलाईजर ड्रील में उपलब्धि 28.12 प्रतिशत, कम्बाईन हार्वेस्टर में उपलब्धि 29.17 प्रतिशत, पावर टीलर में 32.86 प्रतिशत, रोटाभेटर में 23.01 प्रतिशत एवं लैंड लेजर लेभलर, सीड/फर्टिलाईजर डीबलर, सीड ट्रीटमेंट ड्रम में उपलब्धि शून्य प्रतिशत है।

इस पर श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जिले द्वारा ऑनलाईन रिर्पोटिंग के अनुसार 2.00 करोड़ रूपये का ही अनुदान का भुगतान किया गया है, एवं 1.00 करोड़ की राशि का भुगतान होना अभी शेष है। जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस माह तक अनुदान की राशि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी जाएगी।

जिले की खराब उपलब्धि पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

योजना के कार्यान्वयन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

7. **अन्न भंडारण योजना** :– गया जिले में वर्ष 2014–15 में अन्न भंडारण हेतु धातु कोठिला वितरण का भौतिक लक्ष्य 2646 के विरूद्ध उपलब्धि 2627 एवं औरंगाबाद जिला में भौतिक लक्ष्य 1619 के विरूद्ध उपलब्धि 1286 है।

जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

8. **खरीफ योजना** :– इस योजना में गया जिले का वित्तीय लक्ष्य 9.35 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 9.34 लाख एवं औरंगाबाद जिले का वित्तीय लक्ष्य 11.07 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 9.78 करोड़ रूपये है।

जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

9. **रब्बी अभियान** :– इस योजना में गया जिले का वित्तीय लक्ष्य 47.88 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 47.66 लाख एवं औरंगाबाद जिले का वित्तीय लक्ष्य 13.81 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 10.81 लाख रूपये है।

औरंगाबाद जिले की खराब उपलब्धि पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

10. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2014–15 में गया जिले में जिरोटिलेज गेंहूँ प्रत्यक्षण एवं गरमा मूँग प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि शत–प्रतिशत है एवं जिरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर वितरण का भौतिक लक्ष्य 26 के विरूद्ध उपलब्धि शून्य तथा लेजर लैण्ड लेवलर में भौतिक लक्ष्य 01 के विरूद्ध उपलब्धि शून्य है।

इस योजना में औरंगाबाद जिले में गरमा मूँग प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 98. 90 प्रतिशत है एवं जिरो टिल ड्रिल वितरण भौतिक 15 के विरूद्ध उपलब्धि 02 तथा रोटा भेटर में लक्ष्य 12 के विरूद्ध उलपब्धि 06 है।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

11. **डीजल अनुदान** :– डीजल अनुदान वितरण हेतु वर्ष 2014–15 में गया जिले को 6.72 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 5.40 करोड़ रूपये की निकासी की गयी है एवं औरंगाबाद जिले को 6.93 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 4.96 करोड़ रूपये की निकासी की गयी है। दोनों जिलों द्वारा शेष राशि विभाग को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

निर्देश दिया गया कि पूर्व के वर्षों का लंबित डी०सी० विपत्र शीघ्र समर्पित किया जाय।

12. **ई–किसान भवन** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि गुरारू एवं मोहरा नगर प्रखंड के ई–किसान भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। शेरघाटी, टेकारी, खिजरसराय, कोंच, वजीरगंज एवं आमस प्रखंड में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इमामगंज प्रखंड में ई–किसान भवन पर CISFF द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि गोह प्रखंड में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण ई–किसान भवन का निर्माण कार्य स्थगित है। नवीनगर, मदनपुर, ओबरा, रफीगंज, दाउदनगर, देव, बारूण प्रखंडों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं भवन हस्तगत करा दिया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारियों को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, चहारदीवारी, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

13. **नमूना जाँच** :– गया जिले में उर्वरक के 04 अमानक पाये गये हैं। निर्देश दिया गया कि नमूना जाँच हेतु सभी जिलों के लिए बीज नमूना जाँच केन्द्र का प्रमंडलवार निर्धारण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

14. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में जिलों कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफर्मर, पानी, बोरिंग, कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

15. मुख्यमंत्री एकीकृत बीज ग्राम योजना में धान के बीज का बाजार दर निर्धारित करने हेतु बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश संबंधित विभागीय पदाधिकारी को दिया गया।

16. ढैंचा बीज की आपूर्ति हेतु जिलावार तिथि निर्धारित करके बैठक आयोजित करने हेतु निदेशित किया गया।

17. **आत्मा योजना** :– निर्देश दिया गया कि रब्बी में गेंहूँ में क्या–क्या समस्याएं हैं, इसकी सूची उपलब्ध करायी जाय।

आत्मा योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं सरकारी नर्सरी में प्रत्यक्षण कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका योजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

18. **बाजार समिति** :– बाजार समिति प्रांगणों में हो रहे अतिक्रमण एवं चहारदीवारी के संबंध में अगली बैठक में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

19. **उद्यान योजना** :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20. **उद्यान नर्सरी** :– मुख्य रूप से पपीता के पौधे की उपलब्धता हेतु पॉली हाऊस या नेट हाऊस बनाने का निर्देश सहायक निदेशक, उद्यान को दिया गया। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में नर्सरी की संबंध में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित हों।